

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 929 / 2007 / चित्तौड़.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, उदयपुर.अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स जागोटिया एण्ड कम्पनी, घाटियावली, चित्तौड़गढ़.प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. एस. राठौड़,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी. सी. सोगानी एवं श्री वी. के. पारीक,

अभिभाषकगण

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 30 / 4 / 2014

निर्णय

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, उदयपुर (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर भीलवाड़ा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 19/आरएसटी/06-07/भीलवाड़ा में पारित किये गये आदेश दिनांक 16.01.2007 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 12.4.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 5.4.2006 को उदयपुर बाईपास पर वाहन संख्या आर.जे.27/जी-5097 को चैक किये जाने पर वाहन में पोस्टदाना चित्तौड़ से ऊंझा (गुजरात) के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से सम्बन्धित प्रत्यर्थी का चालान संख्या 134 दिनांक 31.3.2006, कृषि उपज मण्डी समिति चित्तौड़गढ़ का निर्यात प्रतिवेदन संख्या 18 दिनांक 31.3.2006, जैन ट्रांसपोर्ट कम्पनी चन्देरिया की बिल्टी संख्या 10915 दिनांक 31.3.2006 एवं घोषणा पत्र एस.टी.18सी संख्या 3437/05 प्रस्तुत किये गये। इसके अतिरिक्त सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन के डेश बोर्ड में रखे दस्तावेज चैक किये जाने पर निम्न दस्तावेज पाये गये :- (1) ए.के.रोडलाईन्स की एल.आर. संख्या 193 दिनांक 29.3.2006 साणंद से खोर (मध्यप्रदेश) वाहन संख्या आर.जे. 27/जी-5097, जिस पर विक्रम सीमेंट, खोर, नीमच (मध्यप्रदेश) की प्राप्ति

लगातार.....2

दिनांक 31.3.2006 अंकित है; (2) प्रियंका कार्बन एण्ड केमिकल्स इण्डस्ट्रीज प्रा० लि० साणंद का चालान संख्या 238 दिनांक 29.3.2006 (प्रेषिति विक्रम सीमेंट, नीमच) वाहन संख्या आर.जे.27/जी-5097 एवं (3) ए.के.रोडलाईन्स की बिल्टी संख्या 229 दिनांक 31.3.2006 सन्तेज (गुजरात) से खोर (मध्यप्रदेश) वाहन संख्या आर.जे.27/जी-5097, जिस पर विक्रम सीमेंट, खोर (मध्यप्रदेश) की प्राप्ति दिनांक 4.4.2006 अंकित है। उक्त बिल्टी पर दिनांक 3.4.2006 को वाणिज्यिक चैकपोस्ट रतनपुर से निम्बाहेड़ा का ट्रांजिट पास बनवाया गया है।

सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन चालक से दस्तावेज दिनांक 31.3.2006 के बने होना तथा माल का परिवहन दिनांक 5.4.2006 को किये जाने के सम्बन्ध में बयान लिये जाने पर वाहन चालक/माल प्रभारी श्री रोडीलाल ने स्वयं के बीमार होने के कारण वाहन को खुद के गांव डागीखेड़ा में खड़ा होने बाबत कथन किया। सक्षम अधिकारी द्वारा चैकपोस्ट निम्बाहेड़ा से की गई जांच में उक्त वाहन दिनांक 3.4.2006 को चैकपोस्ट से गुजरने बाबत जानकारी दी गई।

इस प्रकार सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेजों/जांच से यह अवधारित किया गया कि परिवहनित माल दिनांक 31.3.2006 के पश्चात वाहन में लोड किया गया है, क्योंकि दिनांक 29.3.2006 से 4.4.2006 तक वाहन में उक्त दस्तावेजों अनुसार मध्यप्रदेश के लिये माल परिवहनित किया जा रहा था। प्रत्यर्थी द्वारा करापवंचन के उद्देश्य से तथा वैट बचाने की मंशा से दिनांक 31.3.2006 के दस्तावेज बनाये जाकर माल परिवहनित किया जाना मानते हुए माल परिवहन में अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण धारा 76(7), संशोधन आदेश दिनांक 1.5.2006 अनुसार धारा 76(6), के तहत शास्ति रूपये 5,03,505/- का आरोपण आदेश दिनांक 12.4.2006 से किया गया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.01.2007 से आंशिक स्वीकार करते हुए, धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया, किन्तु दिनांक 01.04.2006 से पोस्त दाना पर वैट दर 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिये जाने के कारण, 2 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर को वसूली योग्य माना गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।



लगातार.....3

बहस के दौरान प्रत्यर्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन में रखे दस्तावेजों की जांच एवं चैकपोस्ट निम्बाहेड़ा से की गई जांच में यह पाया गया था कि विवादित वाहन संख्या आर.जे.27/जी-5097 दिनांक 29.3.2006 से 3.4.2006 के मध्य मैसर्स विनायक ट्रांसपोर्ट कम्पनी, नीमच की बिल्टी संख्या 134 से 138 का माल लेकर चैकपोस्ट निम्बाहेड़ा से गुजरा है, तो दिनांक 31.3.2006 के विवादित दस्तावेजों पर उक्त वाहन का नम्बर कैसे लिखा जा सकता है। वाहन का नम्बर दस्तावेजों पर तभी अंकित किया जा सकता है, जब ट्रांसपोर्ट कम्पनी के पास वाहन माल परिवहन हेतु तत्समय उपलब्ध हो। इससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा करापवंचन की मंशा से दस्तावेजों में दिनांक 31.3.2006 अंकित की गई है।

अग्रिम कथन किया कि वाहन चालक द्वारा वक्त जांच अपने बयानों में, स्वयं के बीमार होने के कारण वाहन को उसके गांव डागीखेड़ा में खड़ा होने बाबत कथन किया गया। जबकि उक्त अवधि में वाहन चैकपोस्ट निम्बाहेड़ा से गुजरा है। सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में वाहन का इंजिन सीज होने बाबत कथन किया गया है, जिसे टॉचिंग कर उदयपुर लाना बताया गया है। वाहन चालक ने अपने शपथपत्र में वाहन के खराब होने के तथ्य को गलत बताया गया है। वाहन चालक ने अपने शपथ पत्र में अंकित किया है कि उसके द्वारा दिनांक 31.3.2006 को विवादित माल लोड कर लिया गया था, फिर ट्रांसपोर्ट कम्पनी से फोन आने पर विवादित माल को उसके घर पर खाली कर, दूसरा माल लोड कर परिवहनित किया गया। इस प्रकार उक्त समस्त तथ्य एक-दूसरे के विरोधाभासी एवं शास्ति की कार्यवाही से बचने हेतु प्रत्यर्थी की बाद की सोच का परिणाम है।

विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि पोस्ट दाना पर दिनांक 1.4.2006 से कर दर 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दी गई। अतः प्रत्यर्थी द्वारा करापवंचन की मंशा से पिछली तारीख में दस्तावेज तैयार किये गये हैं। इस तथ्य को अपीलीय अधिकारी द्वारा भी स्वीकार किया जाकर, अतिरिक्त कर @2% को वसूली योग्य माना गया है, इसके बावजूद सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है, जो कि विधिसम्मत नहीं है। यदि अपीलीय अधिकारी यह मानते हैं कि विवादित दस्तावेज दिनांक 31.3.2006 को ही बनाये गये हैं, तो अतिरिक्त 2 प्रतिशत करारोपण की आवश्यकता ही नहीं रहती है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति अपास्त किया जाना अविधिक है।




लगातार.....4

उक्त तर्कों के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक श्री वी. सी. सोगानी ने बहस के दौरान अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त जांच माल से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे, जिनमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना इंगित नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 31.3.2006 को ही माल के दस्तावेज तैयार कर, माल ट्रांसपोर्ट कम्पनी को सौंप दिया गया था। इसके पश्चात ट्रांसपोर्ट कम्पनी की जिम्मेदारी है कि वह माल को कब और कैसे रवाना करे। दिनांक 29.3.2006 से 3.4.2006 के मध्य वाहन में अन्य माल परिवहन होने बाबत तथ्य के बारे में सक्षम अधिकारी को पर्याप्त जवाब वाहन चालक, ट्रांसपोर्ट कम्पनी एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दे दिया गया था, जिसमें किसी प्रकार का विरोधाभास एवं करापवंचन की मानसिकता नहीं है। माल का बिल पूर्व तिथि का होने से मिथ्या या कूटरचित घोषित नहीं किया जा सकता। अपने तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (2006) 24 सेल्स टैक्स टूडे 18 सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर बनाम एमटेक इण्डिया लिमिटेड, भिवाड़ी को उद्धरित किया है।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक श्री वी. के. पारीक ने कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा नोटिस 76(7) के प्रावधान भी अंकित कर जारी किया है, जो कि किसी व्यक्ति द्वारा Impleadment के लिये है, इसलिए नोटिस भी विधिक रूप से गलत था। यह भी कथन किया कि माल के परिवहन के विषय में माल मालिक उत्तरदायी नहीं हो सकता। माल व उसके दस्तावेजों में घोषित माल में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा भी माल से भिन्न दस्तावेज होना प्रमाणित नहीं किया है। इसलिए अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने व विभाग की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी की ओर से अग्रिम कथन किया गया कि दिनांक 31.3.2006 तक पोस्त दाना पर 2 प्रतिशत की दर से करदेयता थी, जो कि बिल में जुड़ी हुई है, बिल एस.टी. पेड बना हुआ है। इसके बावजूद अपीलीय अधिकारी ने 4 प्रतिशत की दर से करदेयता मानते हुए 2 प्रतिशत अतिरिक्त कर को वसूली योग्य माने जाने में त्रुटि की है, किन्तु न्यायिक प्रक्रिया से बचने हेतु प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

 लगातार.....5

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन को दिनांक 5.4.2006 को चैक किये जाने पर वाहन में परिवहनित माल पोस्ट डोडा से सम्बन्धित प्रत्यर्थी व्यवहारी का बिल दिनांक 31.3.2006, मैसर्स जैन ट्रांसपोर्ट कम्पनी की बिल्टी दिनांक 31.3.2006 तथा घोषणा-पत्र एस.टी.18सी पाये गये थे। सक्षम अधिकारी ने बिल बिल्टी आदि पुरानी तिथि के होने के कारण वाहन रोक कर वाहन की डेश बोर्ड में अन्य दस्तावेज पाये, जिनके अनुसार विवादित वाहन दिनांक 31.3.2006 को घटियावली चित्तौड़गढ़ में मौजूद ही नहीं था। इसलिए सक्षम अधिकारी ने माना कि माल दिनांक 31.3.2006 के बजाय 4.4.2006 को या बाद में विक्रय होकर परिवहनित किया जा रहा है। परिवहनित माल डोडा पोस्ट पर दिनांक 31.3.2006 के पश्चात 1.4.2006 से वैट दर 2 प्रतिशत के बजाय 4 प्रतिशत हो जाने के कारण करापवंचन की नियत से दस्तावेज पिछली तिथि के बनाये गये हैं, इसलिए इन दस्तावेजों को मिथ्या मानते हुए अधिनियम की धारा 76(2), (6), (7) व (13) के तहत नोटिस जारी किया तथा प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को असंतोषप्रद मानते हुए शास्ति आरोपित की है।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषकगण का मुख्य तर्क यह रहा है कि प्रत्यर्थी ने दिनांक 31.3.2006 को ही माल विक्रय कर माल ट्रांसपोर्ट कम्पनी को परिवहन हेतु सुपुर्द कर दिया गया था। उसके पश्चात परिवहन कम्पनी द्वारा उसे कब लदान कर पहुंचाया गया है, यह उनका दायित्व नहीं है। यह भी तर्क रहा है कि विवादित माल के दस्तावेजों व घोषित माल में कोई भिन्नता नहीं है। सक्षम अधिकारी द्वारा मात्र बिल बिल्टी पिछली तिथियों के होने के कारण इन दस्तावेजों को मिथ्या मानकर भूल की है, जिसे अपीलीय अधिकारी ने उचित ही अपास्त किया है। प्रत्यर्थी का तर्क माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्धरित निर्णय (2006) 24 सेल्स टैक्स टूडे 18 के आलोक में उचित प्रतीत होता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय में पैरा 5 में निम्न प्रकार अंकित किया है :-

"5. One fails to understand how learned CTO without holding any inquiry into these documents produced by assessee/driver of the vehicle at the time of **checking the invoice of prior date could perse be treated as non-genuine or forged document.** This Court summoned the record of the case and perused the original record. The documents including the declaration issued by Sales Tax Authorities of both the States clearly establish that transit and transaction was perfectly genuine and there was absolutely no reason for Assessing

लगातार.....6

Authority to just go by fidget of his imagination that merely because the invoice bears the date prior in point of time, such document should be held to be non-genuine so as to attract heavy penalty of 30% of the value of goods under Sec. 78(5) of the Act."

प्रस्तुत प्रकरण में सक्षम अधिकारी ने विवादित माल व उसके दस्तावेजों में कोई भिन्नता नहीं पाई है, न ही माल का दिनांक 31.3.2006 के दस्तावेजों से पूर्व माल परिवहन कर लिये जाने तथा पुनः उन्हीं दस्तावेजों से दुबारा माल का परिवहन किये जाने का प्रकरण बनाया है। अधिनियम की धारा 76(2) अनुसार विहित सभी दस्तावेज वक्त जांच पाये गये हैं, जिन्हें पिछली तिथि के आधार पर मिथ्या या कूटरचित नहीं ठहराया जा सकता है। सक्षम अधिकारी ने इस बिन्दु पर कोई जांच नहीं की है कि दिनांक 31.3.2006 को माल का विक्रय नहीं हुआ था या परिवहनित माल से सम्बन्धित दस्तावेज नहीं थे। इसलिए विधिसम्मत दस्तावेजों से माल का परिवहन किये जाने के कारण अपीलीय अधिकारी ने धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त कर कोई विधिक भूल नहीं की है।


सक्षम अधिकारी ने जांच में विवादित वाहन द्वारा दिनांक 29.3.2006 से 4.4.2006 तक अन्य प्रकार से परिवहनरत होना पाया है। वाहन चालक द्वारा भी स्वयं के बीमार होने या वाहन का इंजिन सीजन होने के तथ्य बताये गये हैं, जो कि हो सकता है कि सत्यता से परे हों, लेकिन इनके आधार पर विवादित माल के दस्तावेजों को मिथ्या घोषित नहीं किया जा सकता।

प्रकरण में यह सम्भावित है कि पोस्त दाना पर दिनांक 31.3.2006 तक दो प्रतिशत की दर से करदेयता थी, जबकि दिनांक 1.4.2006 से कर दर बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दी गई। ऐसी स्थिति में इस सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि प्रत्यर्थी द्वारा 2 प्रतिशत कर बचाने की मंशा से पिछली तारीख में दस्तावेज तैयार किये गये हों। लेकिन इस सम्भावना के आधार पर दस्तावेजों को मिथ्या नहीं ठहराया जा सकता।

अपीलीय अधिकारी द्वारा दस्तावेज दिनांक 31.3.2006 को बनाया जाना मानते हुए, अपने निर्णय के अन्त में यह निर्णीत किया गया है कि विवादित माल पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता होने से, अतिरिक्त 2 प्रतिशत कर वसूली योग्य है। इस बिन्दु पर प्रत्यर्थी द्वारा भी निर्णय को अपील के जरिये विवादित नहीं किया गया है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलीय आदेश की एतद्वारा पुष्टि की जाकर राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(जे. आर. लोहिया)
30/4/2007